रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122022-241053 CG-DL-E-14122022-241053

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 648]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2022/अग्रहायण 22, 1944

No. 648]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2022/AGRAHAYANA 22, 1944

# भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

संदर्भ: HQ-PUB012/4/2020-PUB-BIS(460).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लाग रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं|

### अनुसूची

क्रम	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा	प्रतिस्थापन	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं,	वापस होनें की
सं.	शीर्षक	तिथि	की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 10805 : 2022	30 नवम्बर	IS 10805 : 1986	28 फ़रवरी
	कृषि पंपिंग पद्धतियों की चूषण लाइनों में	2022	कृषि पंपिंग पद्धतियों की चूषण लाइनों में	2023
	उपयोग किए जाने के लिए फूट-वाल्व,		उपयोग किए जाने के लिए फूट-वाल्व,	
	प्रतिवाह वाल्व या नॉन-रिटर्न वाल्व और बोर		प्रतिवाह वाल्व या नॉन-रिटर्न वाल्व और	
	वाल्व – विशिष्टि		बोर वाल्व के लिए विशिष्टि	
	(दूसरा पुनरीक्षण)		(पहला पुनरीक्षण)	

राजीव शर्मा, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण–I)

[विज्ञापन III/4/असा./467/2022-23]

8298 GI/2022 (1)

### **BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

### (Department of Consumer Affairs)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th December, 2022

**Ref:** HQ-PUB012/4/2020-PUB-BIS(460).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

#### **SCHEDULE**

SI No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. , Year & Title of the Indian Standards to be withdrawan, if any	Date of withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 10805 : 2022 Foot-Valves, Reflux Valves or Non-Return Valves and Bore Valves to be Used in Suction Lines of Agricultural Pumping Systems — Specification (Second Revision)	30 November 2022	IS 10805 : 1986 Specification for Foot-Valves, Reflux Valves or Non-Return Valves and Bore Valves to be Used in Suction Lines of Agricultural Pumping Systems (First Revision)	28 February 2023

RAJEEV SHARMA, Scientist F & DDG (Standardization-I)

[ADVT.-III/4/Exty./467/2022-23]

## अधिसूचना

नई दिल्ली. 9 दिसम्बर. 2022

संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS(461).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं|

## अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित <u>भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा</u> <u>शीर्षक</u>	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	<u>वापस होनें</u> की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस/आई ई सी 62680-1-3 : 2022 डाटा और पावर के लिए यूनिवर्सल सीरियल बस इंटरफेस	9 दिसम्बर 2022	लागू नहीं	लागू नहीं

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

	4		
भाग	1 सामान्य घटक		
अनुभाग 3 यूए	पबी टाइप C® केबल और		
संयो	जक की विशिष्टि		

राजीव शर्मा, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण– I)

[विज्ञापन III/4/असा./467/2022-23]

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th December 2022

**Ref:** HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS(461).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

### **SCHEDULE**

Sl No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. , Year & Title of the Indian Standards to be withdrawn, if any	Date of withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS/IEC 62680-1-3: 2022 Universal Serial Bus Interfaces for Data and Power Part 1 Common Components Section 3 USB Type-C® Cable and Connector Specification	9 Dec 2022	NA	NA

RAJEEV SHARMA, Scientist F & DDG (Standardization–I) [ADVT.-III/4/Exty./467/2022-23]